गरीबों को आधी कीमत पर राशन प्रदान करने संबंधी योजना

114. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:
श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे:
श्रीमती वीणा वर्मा:
श्री राजूभाई ए० परमार:
श्री पराग चालिहा:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबों को आधी कीमत पर राशन प्रदान करने की प्रक्रिया तय करने के बाद इस योजना को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राशन दुकान द्वारा कौन-कौन सी वस्तुऐं प्रति किलोग्राम कितनी-कितनी दर पर प्रदान की जाएंगी और सरकार द्वारा इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया गया है तथा इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) गरीबों को आधी कीमत पर राशन प्रदान करने में सरकार पर प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा तथा सरकार इसकी भरपाई किस प्रकार करेगी?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति माह सामान्य मूल्य के लगभग आधे मूल्य पर 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न अर्थात् गेहूं और चावल मुहैया कराया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए स्वर्गीय प्रो० लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल के तरीके/मानदण्ड को अपनाया जाएगा। राज्य सरकारों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। गरीबी रेखा से नीचे वशर करने वाली आबादी को विशेष राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न वास्तव में तभी जारी किए जाएंगे जब राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की पहचान कर लेगी और उन्हें खाद्यान्न जारी करने के लिए संतोषजनक प्रबंध कर लेंगे।

(ग) गरीबों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर राशन मुहैया कराने के परिणामस्वरूप सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर निर्भर होगी।

Depriving the Poor Families of Orissa from the Banefits of RPDS

115. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether more than one million families below poverty line in Orissa are being deprived of the benefits of food security under the targeted revised public distribution scheme as reported in the Economic Times dated 8th January, 1997; and

(b) if so, the steps proposed to rectify the statistical data and help the deprived lot to get the benefits of RPDS?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) No., Sir. According to estimates based on methodology adopted by the Expert Group under the Chairmanship of Late Prof. Lakdawala, an estimated 160.60 lakh persons below the poverty line in Orissa will be covered under the Targeted Public Distribution System scheme. Thus, about 48.56% of the total population of Orissa will be benefited under the new scheme.

PDS Benefits to Families Below Poverty Line

116. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether a scheme for providing 10 kgs. of foodgrains per family per month